भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 489
गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 (17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अप्रचालनरत हवाई पट्टियों का पुनरूद्धार

489. श्री दुलू महतो:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, धनबाद सहित देश भर में कई उपयोगी हवाई पट्टियां गैर-संचालन के कारण खराब हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के लिए नई कंपनियों के लिए अवसर सृजन करने हेतु उक्त हवाई पट्टियों पर परिचालन शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत उक्त हवाई पट्टियों को बहाल करने और उन्हें चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त हवाई पट्टियों का पुनर्निर्माण करने और उन्हें क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) में एकीकृत करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक), भारत में अवसंरचना और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित पहल है, विशेषकर दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में। उड़ान एक सतत योजना है, जिसमें योजना के तहत अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली दौर आयोजित किए जाते हैं। वैध बोली के माध्यम से चिह्नित किए जाने और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड किए जाने के बाद असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन किया जाता है।
झारखंड राज्य सरकार के स्वामित्व वाली धनबाद हवाईपट्टी उड़ान दस्तावेज़ में असेवित हवाईपट्टियों की सूची में उपलब्ध है।

उड़ान 5.2 बोली के दौर के दौरान, झारखंड में धनबाद हवाईअड्डे को जोड़ने वाली बोलियाँ प्राप्त हुई हैं। तत्पश्चात, झारखंड राज्य सरकार से छोटे विमानों (2बी) के प्रचालन और भविष्य में 3सी श्रेणी में विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता के विषय में अपनी सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

भूमि की कमी के कारण राज्य सरकार ने धनबाद हवाईअड्डे को विकसित करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

******